

अधिसूचना सं० 17/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 16/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं० 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

(i) सारणी (1) के परन्तुक तथा उसके अधीन दृष्टांत 1 और दृष्टांत 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“सारणी - 1

क्रम सं०	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)				फिल्टर खैनी के रूप में सामान्यतः ज्ञात चबाने वाला तंबाकू
		चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)	अविनिर्मित तंबाकू	चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच के साथ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1.00 रु० तक	15.92	15.12	10.96	10.41	10.94
2.	1.00 रु० से अधिक किन्तु 1.50 रु० से अनधिक	23.88	22.68	16.44	15.62	16.42
3.	1.50 रु० से अधिक किन्तु 2.00 रु० से अनधिक	28.65	27.06	19.72	18.63	20.79

4.	2.00 ₹0 से अधिक किन्तु 3.00 ₹0 से अनधिक	42.98	40.59	29.59	27.94	29.63
5.	3.00 ₹0 से अधिक किन्तु 4.00 ₹0 से अनधिक	53.49	50.30	36.82	34.63	37.53
6.	4.00 ₹0 से अधिक किन्तु 5.00 ₹0 से अनधिक	66.86	62.88	46.02	43.28	44.57
7.	5.00 ₹0 से अधिक किन्तु 6.00 ₹0 से अनधिक	80.23	75.46	55.23	51.94	50.81
8.	6.00 ₹0 से अधिक किन्तु 7.00 ₹0 से अनधिक	127.35	119.39	87.66	82.19	56.32
9.	7.00 ₹0 से अधिक किन्तु 8.00 ₹0 से अनधिक	127.35	119.39	87.66	82.19	61.14
10.	8.00 ₹0 से अधिक किन्तु 9.00 ₹0 से अनधिक	127.35	119.39	87.66	82.19	65.35
11.	9.00 ₹0 से अधिक किन्तु 10.00 ₹0 से अनधिक	127.35	119.39	87.66	82.19	68.98
12.	10.00 ₹0 से अधिक किन्तु 11.00 ₹0 से अनधिक	179.57	170.59	123.61	117.43	68.98 + 6.55 x (की- 10)
13.	15.00 ₹0 से अधिक किन्तु 20.00 ₹0 से अनधिक	225.05	213.80	154.92	147.18	

14.	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अनधिक	264.44	251.22	182.03	172.93	
15.	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनधिक	298.29	283.37	205.33	195.07	
16.	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अनधिक	327.12	310.77	225.18	213.92	
17.	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अनधिक	351.42	333.85	241.91	229.81	
18.	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनधिक	371.63	353.05	255.82	243.03	
19.	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनधिक	388.15	368.74	267.19	253.83	
20.	50.00 रु0 से आगे	388.15+ 7.76 x (की-50)	368.74+ 7.37 x (की-50)	267.19+ 5.34 x (की-50)	253.83+ 5.08 x (की-50)	जहां ऊपर 'की' पाउच के खुदरा विक्रय कीमत को उपदर्शित करता है जिसके लिए शुल्क की दर का अवधारण किया जाना है ।

टिप्पण :- क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ सं. (7) की प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, स्तंभ सं. (2) की प्रविष्टि 'रुपए 10.01 और उससे ऊपर के रूप में पठित होगी ।' ।

दृष्टांत 1 :- किसी चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न) के पाउच के लिए, जिसमें चूना ट्यूब नहीं है, के लिए प्रतिमास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर और जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55.00 रु0 (अर्थात् 'की') है, बराबर $388.15 + 7.76^*$ (55-50) लाख = 426.95 लाख रुपए होगी ।

दृष्टांत 2 :- किसी फिल्टर खैनी के पाउच के लिए, प्रतिमास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 15.00 रु0 (अर्थात् 'की') है, बराबर 68.98 + 6.55* (15-10) लाख = 101.73 लाख रुपए होगी ।

(ii) सारणी-2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“सारणी-2

क्रम सं०	शुल्क	अविनिर्मित तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात	चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उदगृहीत शुल्क	0.9020	0.7903
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उदगृहीत उत्पाद-शुल्क का अतिरिक्त शुल्क	0.0689	0.0677
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उदगृहीत राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क	0.0000	0.1129
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उदगृहीत शिक्षा उपकर	0.0194	0.0194
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उदगृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0097	0.0097”.

[फा.सं० 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 02/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जनवरी, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 57(अ), तारीख 24 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।